

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/8434

दिनांक: 14.10.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

**विषय:— पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव, 2020
— प्रारम्भिक तैयारियां।**

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने हेतु शीघ्र ही कार्यक्रम जारी किया जाना है। कार्यक्रम जारी किए जाने से पूर्व चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर प्रारम्भिक तैयारियां यथासमय पूर्ण की जानी है।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश तत्समय आपको ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं, और इन महत्वपूर्ण निर्देशों को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। आम चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां आप द्वारा समय पर सम्पन्न करवायी जानी आवश्यक है। अतः चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं पर चुनाव संबंधी तैयारियां यथासमय पूर्ण कर लेवे।

1. **निर्वाचक नामावली** — आयोग द्वारा राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जाकर माह जनवरी, 2020 एवं सितम्बर-अक्टूबर, 2020 में ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के आम चुनाव कराए जा चुके हैं।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। अतः मतदाता सूचियों में जो कमियां रह गई हों, उन्हें उक्तानुसार सही करवाया जावे।

2. **मतदान केन्द्रों का विनिश्चय** — राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अध्वधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 1586/10.05.2019 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये हुए हैं।

कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग के पत्रांक 5994 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1100 के स्थान पर 900 तक किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त निर्देशों की अनुपालना में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार नवीन मतदान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आगामी आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का एक बार भौतिक सत्यापन करा लेवें। यदि किसी मतदान केन्द्र को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो आयोग के उक्त पत्र में अंकित निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव आयोग को भिजवाएं।

3. **रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति** —आयोग के आदेश क्रमांक 4432 दिनांक 31.12.99 एवं 6105 दिनांक 10.12.09 के द्वारा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतु जिले के जिला कलक्टर को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति आपके प्रस्तावानुसार आयोग द्वारा की जानी है। इस हेतु प्रस्ताव आयोग को तुरन्त ही प्रेषित कर दें ताकि आयोग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाए। पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये जाने का नियमों में प्रावधान है। अतः आप इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर नियुक्ति किए गए

20.10.20

रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची, जिसमें अधिकारी का नाम, कार्यालय का दूरभाष संख्या, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस अंकित हो, आयोग को उपलब्ध करवायें।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। कृपया उक्तानुसार नियुक्तियां भी शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

4. **मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण** – आपके जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वायत्तशासी विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एकत्र की गई सूचना के अनुसार मतदान दल के गठन के संबंध में आवश्यक तैयारी आरम्भ कर ली जावे। मतदान दलों के गठन के संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा निर्देश प्रदान किए हुए हैं। मतदान दलों के गठन हेतु आपको NIC द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया गया था। पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के लिए मतदान दलों के गठन में भी इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना है।
मतदान दलों को दो प्रशिक्षण दिए जाने हैं। प्रथम प्रशिक्षण में पंचायत वृत्त के लिए नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के अतिरिक्त मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी प्रथम को सम्मिलित किया जाना है। द्वितीय प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के दिन मतदान दल के सभी सदस्यों को दिया जाएगा। यदि किसी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण या प्रथम प्रशिक्षण में अतिरिक्त सहायक मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस हो तो आयोग की अनुमति से ऐसा किया जा सकेगा।
5. **ईवीएम की आवश्यकता एवं उपलब्धता** – जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंचों के चुनाव मशीनों की उपलब्धता के आधार पर ईवीएम के माध्यम से कराए जाने हैं। अतः आपके जिले में ईवीएम की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलन कर लेवें। यदि उपलब्धता से अधिक आवश्यकता है तो जिले में उपलब्ध मशीनों का विवरण एवं संख्या अंकित करते हुए अपनी मांग से आयोग को अवगत कराए। ईवीएम की अतिरिक्त उपलब्धता (Surplus) की सूचना से भी आयोग को तुरन्त अवगत करावें।
6. **मतपेटियाः** – मतदान हेतु मतपेटियाँ जिलों में ही उपलब्ध हैं। इनकी ऑयलिंग/ग्रीसिंग व मरम्मत के संबंध में दिशा निर्देश पत्रांक 4076 दिनांक 17.10.19 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्तानुसार आप द्वारा मतपेटियों को तैयार करवा लिया गया होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्वाचनों में ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर कुछ जिलों में निर्वाचन मतपेटियों से भी कराया जा सकता है।
7. **मतदान सामग्री** – मतदान सामग्री, फॉर्मर्स, लिफाफे आदि का वितरण आपको किया जा चुका है। मतदान केन्द्रों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यदि अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता है तो आप अपने स्तर पर मुद्रित करा लेवें। अन्य मतदान सामग्री यथा पीठासीन अधिकारी की मुहर, ऐरोक्रॉस सील, काउंटिंग ट्रे इत्यादि की आवश्यकता और अपने भण्डार में उपलब्धता की जाँच कर लें और यदि कोई कमी हो तो, इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9447 दिनांक 16.12.2014 एवं पत्रांक 9451 दिनांक 16.12.2014 के निर्देशानुसार क्रय करने की कार्यवाही करें।
8. **ईवीएम मतपत्र एवं साधारण मतपत्र** – जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु ईवीएम मतपत्र मुद्रण के लिए आयोग के पत्रांक 6130 दिनांक 18.12.2019 एवं साधारण मतपत्र के लिए पत्रांक 4974 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा आपको विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इन पत्रों में अंकित निर्देश यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों से करवाया जाना है। पंच एवं सरपंचों के चुनाव हेतु मतपत्रों के मुद्रण के लिए आपके द्वारा निजी मुद्रणालयों का चयन कर रखा है। यदि पूर्व चयनित मुद्रणालयों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो लेखा नियमों के अनुसार शीघ्र ही नवीन मुद्रणालयों का चयन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज राजकीय मुद्रणालयों से प्राप्त कर आवश्यक तैयारियाँ यथा समय ही पूर्ण कर ली जावे।
9. **प्रशिक्षण** – जिला परिषद एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में ECIL का मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों का भी उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों के संचालन हेतु प्रशिक्षण दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 के मध्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर्स को दिया जा चुका है। इसके पश्चात् मास्टर ट्रेनर्स को द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 11.10.2019 को दिया जा चुका

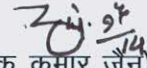
है। उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के अतिरिक्त BEL एवं ECIL की एम-2, एमके-4 एवं एमके-5 मॉडल की मशीनें भी उपयोग में ली जाएंगी। यद्यपि इन मॉडल की मशीनों को पूर्व से ही उपयोग में लिया जा रहा है, फिर भी आप अपने स्तर से पूर्व प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चुनाव कार्य में नियोजित किए जाने वाले कार्मिकों को भली-भांति प्रशिक्षित कर देवे।

10. **बजट** – जिला परिषद एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के लिए प्रारंभिक बजट का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।
11. **चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना** – जिला स्तर पर चुनाव की व्यापक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी नियुक्त कर लिये जाए।
12. **पंचायतीराज निर्वाचनों से संबंधित पुस्तकें** –
 1. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित नियम, अधिनियम एवं अन्य नियमों हेतु Manual of Panchayati Raj Election Law, 2020 पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
 2. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन पुस्तिका 'पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020' (Compendium of Instructions) पुस्तिका भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 3. इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों के लिए मतपेटी एवं ईवीएम से चुनाव होने की स्थिति में दोनों के लिए पृथक-पृथक मार्गदर्शिका भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उक्त पुस्तिकाओं की मुद्रित प्रतियों का वितरण भी आपको किया जा चुका है।

13. **कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन** – माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020 में संपन्न हुए आम चुनाव के दौरान आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाइन जारी की गई थी। गाईडलाइन में चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों में संक्रमण से बचाव हेतु सैनेटाइजर के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना एवं अन्य सावधानियां रखने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आगामी आम चुनाव के लिए भी उक्तानुसार गाईडलाइन में अंकित निर्देशों की यथा आवश्यक परिवर्तन कर पालना सुनिश्चित कराई जानी है।

कृपया उक्तानुसार तैयार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन) 14.10.2020
उप सचिव